N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0192 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 26/07/2025 18:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 14/07/2025 Date To (दिनांक तक): 24/07/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 14:15 बजे Time To (समय तक): 15:22 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/07/2025 Time (समय): 17:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 26/07/2025 18:28:14 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 430 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

   (b) Address(पता): TEHSIL CHORAHA, CHAI KI DUKAN, VALLABHNAGAR UDAIPUR

   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMESH CHANDRA DANGI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** VARDHICHAND

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VIJNA POST KARANPUR, VALLABHNAGAR, VALLABHNAGAR , UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VIJNA POST KARANPUR, VALLABHNAGAR, VALLABHNAGAR , UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJESH KUMAR MEENA		पिता:SAMAY SINGH	1. PATWAR HALKA,BALATHAL,VALLABHNAGAR

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	10000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	10,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 14-07-2025 समय करीब 2.15 पी.एम. को परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी पुत्र श्री वरदीचन्द जी डांगी उम्र 31 वर्ष निवासी विजना पोस्ट करणपुर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ने उपस्थित होकर स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मै प्रार्थी रमेशचन्दूर डांगी उम्र 31 वर्ष गांव विजना का निवासी हू तथा मै ठेकेदारी का काम करता हू, माह फरवरी-2025 में मेरे द्वारा श्री प्रभुलाल मेघवाल निवासी पुरियाखेडी पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर से लगभग 5 बीघा जमीन खरीदी थी, चूंकि उक्त जमीन मुझ प्रार्थी के नाम पर नहीं होने से मैने मेरे मित्र श्री भरत मेघवाल पुत्र श्री सुखलाल मेघवाल निवासी मेड़ता पुलिस थाना डबोक के नाम पर करवाई थी। उक्त भूमि क्रय की राषि मेरे द्वारा श्री भरत मेघवाल के खाते में नकद/ऑनलाईन जमा करवाई थी। इसके बाद श्री भरत मेघवाल द्वारा उक्त भूमि क्रय की राशि श्री प्रभुलाल मेघवाल को जरिये चैक भुगतान किया गया था। उक्त जमीन का नामान्तरण भी ऑनलाईन दिनांक 17.02.2025 को श्री भरत मेघवाल के नाम खुल गया था, चंूकि उक्त भूमि का खाता श्री प्रभुलाल मेघवाल व उसके परिवार के सदस्यों श्री किशोर लाल, श्री भजा व श्री मांगीलाल पुत्र श्री भजा के नाम पर सामलाती खाता था, परन्तु श्री प्रभुलाल का हिस्सा मेरे द्वारा क्रय कर श्री भरत मेघवाल के नाम करवाया था परन्तु सामलाती खाते की भूमि का अलग-अलग बंटवारा करवाने हेतु मै पटवार हल्का बालाथल के पटवारी श्री राजेश जी मीणा से जाकर मिला और उनको उक्त भूमि के बंटवारे के बारे में बातचीत की और उनको श्री भरत मेघवाल का आधार कार्ड, नकल, नक्शा टे्क्स इत्यादि दस्तावेज दिये थे तथा उनको उक्त भूमि जो ग्राम पुरियाखेडी पटवार हल्का बालाथल के खाता संख्या नया 79 जिसके खसरा संख्या 173, 174, 175, 176 क्षेत्रफल 2.1600 हेक्टेयर का बंटवारा हेतु कहा तो उन्होने मुझे कहा कि बंटवारे के लिए वर्तमान प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन आवेदन करना पड़ता है, परन्तु मै तुम्हारा आवेदन मेरे स्तर पर करवाकर बंटवारे का काम कर दूंगा जिसके लिए 15,000 रूपये देने होंगे तथा कहा कि 15,000 रूपये लेकर आ जाना नही तो तुम्हारे जमीन बंटवारे का काम नहीं होगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मै मेरे जायज काम के लिए रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हॅूं। कानूनी कार्यवाही करवावे। रिपोर्ट पेश है। "मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का आधार कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया गया। जिस पर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो उसने बताया कि ग्राम पुरियाखेडी पटवार हल्का बालाथल के खाता संख्या नया 79 जिसके खसरा संख्या 173, 174, 175, 176 क्षेत्रफल 2.1600 हेक्टेयर है जिसमें से 5 बीघा जमीन मेरे द्वारा खरीद कर मेरे मित्र श्री भरत मेघवाल करवाई थी जो खाता नकल में भी उसके नाम पर ही तथा 5 बीघा जमीन श्री किशोर लाल पुत्र भजा व श्री मांगीलाल पुत्र भजा के नाम पर है, उक्त सामलाती खाते की कुल 10 बीघा जमीन एकचक है तथा जमीन का अलग-अलग बंटवारा करने के लिए श्री राजेश मीणा पटवारी पटवार हल्का बालाथल द्वारा रिश्वत राशि 15,000 रूपये की मांग की गई। परिवादी श्री रमेचन्द डांगी ने बताया कि श्री राजेश मीणा पटवारी बहुत ही भ्रष्ट प्रवृति का है तथा बिना रिश्वत राशि लिए कोई काम नहीं करता है तथा मेरी श्री राजेश मीणा पटवारी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं है तथा ना ही मेरे उससे कोई लेन देन बकाया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कराने के लिए कहा तो परिवादी ने कहा कि मै आज ही पटवारी श्री राजेश मीणा उनके कार्यालय पर मिल कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो के श्री मूनीर मोहम्मद सउनि. को बुलाकर कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखा डिजिटल वाईस रिकार्ड व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर का अवलोकन किया गया तो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी व श्री मूनीर मोहम्मद सउनि का आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश की गई। तत्पश्चात् परिवादी ने बताया कि आज आपके कार्यालय में आने से पूर्व भी मैने मेरे स्तर पर श्री राजेश मीणा पटवारी की जानकारी प्राप्त की तो पता चला की आज वह वल्लभनगर तहसील में मीटिंग होने से वही पर मिलेगे। श्री राजेश मीणा पटवारी जो कि पटवार हल्का बालाथल में कभी

कभी ही आते है तथा अधिकतर काम के लिए वह वल्लभनगर ही बुलाते है। तत्पश्चात् समय करीब 2.55 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी व श्री मूनीर मोहम्मद सउनि को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपूर्द कर निर्देश दिये गये कि वल्लभनगर पहुच परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन एवं रख रखाव की विधि की समझाईश कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपूर्द कर पटवारी श्री राजेश मीणा से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता करवाने एवं बाद मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही करे तथा श्री मूनीर मोहम्मद सउनि को संद्विग्ध श्री राजेश मीणा की आम शोहरत की जानकारी हासिल करे। श्री मूनीर मोहम्मद व परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी को परिवादी के स्वयं की निजी कार से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु वल्लभनगर के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 8.19 पीएम पर श्री मूनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक व मन् पुलिस निरीक्षक के मध्य जरिये मोबाईल फोन वार्ता हुई जिसके दौरान श्री मूनीर मोहम्मद ने बताया कि समय करीब 7.34 पी.एम. पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी को सुपुर्द कर श्री राजेश मीणा पटवारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु तहसील कार्यालय वल्लभनगर परिसर के बाहर रवाना किया तथा मै आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए खडा हो गया तथा समय करीब 7.50 पी.एम. पर परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी मेरे पास आकर मुझे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि रिश्वत राशि मांग का सत्यापन हो चुका है तथा श्री राजेश मीणा पटवारी द्वारा मेरे से 2,000 रूपये नकद उसके पास खडे परिचित व्यक्ति को दिलवाये तथा कहा कि 8,000 रूपये आगे उपर अधिकारियों को देने पडेगे तथा 5000 रूपये खुद के लिए मांग की है, जिसमें से 2,000 रूपये नकद देने के उपरान्त अब शेष 10,000 रूपये बंटवारा करने की एवज् मांग करना तय हुआ है मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मूनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक को परिवादी के साथ मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। तत्पश्चात् समय करीब 9.15 पी.एम. पर श्री मूनीर मोहम्मद सउनि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। श्री मूनीर मोहम्मद सउनि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया तथा पूर्व में बताये गये हालात निवेदन किये थे। इस पर परिवादी व आरोपी श्री राजेश मीणा पटवारी के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता को चालु कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि हुई। परिवादी ने बताया कि मेरे अभी घर पर आवश्यक कार्य है जिसमें मैं व्यस्त रहूंगा तथा रिश्वत राशि के रूप में दी जाने वाली राशि दस हजार रूपये की व्यवस्था होने के उपरान्त मैं अग्रिम कार्यवाही के लिये आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय में रखा गया। तत्पश्चात् दिनांक 24.07.2025 को समय करीब 8.00 ए.एम. पर पूर्व पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाह श्री दिलीप कुमार एवं श्री विनोद कुमार उपस्थित कार्यालय आये। तत्पश्चात् समय करीब 8.15 पी.एम. पर परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय उदयपुर आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं श्री राजेश मीणा पटवारी साहब को देने के लिये रिश्वत राशि के रूप में 10,000 रूपये की व्यवस्था करके आपके कार्यालय में उपस्थित आया हुं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय में मौजुद दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सुनिल कुमार व श्री विनोद कुमार का परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी से आपस में परिचय करवाया गया। दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय कक्ष की आलमारी से निकलवाकर चालू कर दोनो गवाहान को सुनाई गई। दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली टेªप कार्यवाही में बतौर गवाह रहने की सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाहान के रूप में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति दी गई तत्पश्चात्् परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 8.25 ए.एम. मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनिल कुमार एवं श्री विनोद कुमार के समक्ष डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी एवं आरोपी श्री राजेश मीणा के मध्य दिनांक 14.07.2025 को हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री अजय कुमार द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 11.35 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में कार्यवाही रिश्वत राशि पेशकशी एव सुपुर्दगी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम बाईकोबोनेट किया जाकर पृथक से फर्द भी मूर्तिब की गई। तत्पश्चात् समय करीब 12.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री सुनिल कुमार व श्री विनोद कुमार, श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री मूनीर मोहम्मद सउनि, श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक मय लेपटॉप, प्रिन्टर, टेªप बॉक्स प्राईवेट वाहन मय चालक तथा परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी, श्री अजय कुमार कानि. व श्री मांगीलाल कानि. को परिवादी की निजी कार से ब्यूरो कार्यालय से वल्लभनगर के लिये वास्ते टेªप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय करीब 1.30 पी.एम. पर वल्लभनगर स्थित मावली रोड के पास मुकिम हुए। इसी दौरान परिवादी ने बताया कि अभी अभी मेरे व श्री

राजेश मीणा पटवारी के मध्य मोबाईल पर वार्ता हुई तो उसने मुझे तहसील चौराये पर स्थिति चाय की दूकान पर बुलाया है । तत्पश्चात् समय करीब 1.35 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को आरोपी को रिश्वत राशि देने के पश्चात निर्धारित ईशारा करने की हिदायत कर परिवादी से उसके पास से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑन कराया जाकर तहसील चौराये वल्लभनगर स्थिति चाय की दूकान के लिये रवाना किया गया तथा उसके साथ उसके मित्र श्री भरत मेघवाल को भी रवाना कर परिवादी के पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के जरिये प्राईवेट वाहन से रवाना होकर तहसील चौराये के पास प्राईवेट वाहन को एक तरफ साईड में खडा कर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मूकिम रहे। तत्पश्चात् समय करीब 3.21 पी.एम. पर परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी ने चाय की दूकान के बाहर सडक पर खडा होकर अपने दोनो हाथ सिर पर फैर कर पूर्व से निर्धारित ईशारा कर रिश्वत राशि आरोपी श्री राजेश मीणा पटवारी द्वारा ग्रहण करने की सूचना दी जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनिल कुमार व श्री विनोद कुमार एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री मुनीर मोहम्मद, श्री दलपत सिंह, श्री अजय कुमार कानि. श्री मांगीलाल कानि. श्री लक्ष्मण सिंह के तेज-तेज कदमों से चलकर परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी के पास पहुंचे तथा इसके पश्चात परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि अभी अभी मेरे से श्री राजेश मीणा पटवारी जी ने रिश्वत राशि 10,000 रूपये लेकर अपने पहने हुए पेन्ट की आगे की बाये जेब में रखे है तथा चाय की दूकान के अन्दर ही बैठे है, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो टीम के साथ परिवादी को अपने साथ लेकर तहसील चौराये पर स्थित चाय की दूकान में पहुचे जहां पर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यह श्री राजेश मीणा पटवारी पटवार हल्का बालाथल है जिन्होने अभी अभी मुझसे जमीन का बंटवारा करने की एवज् में 10,000 रूपये रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण की है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अगवत करा उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम राजेश मीणा पुत्र श्री समयसिंह उम्र 31 वर्ष निवासी वीरगांव तहसील मण्डावर पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा हाल पटवारी पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता के समक्ष आरोपी श्री राजेश मीणा पटवारी को परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो श्री राजेश मीणा पटवारी ने बताया कि " श्री रमेशचन्द्र डांगी कुछ दिनों पहले मेरे पास आये थे तथा इन्होने गांव पूरियाखेडी पटवार हल्का बालाथल में 5 बीघा जमीन क्रय कर भरत मेघवाल के नाम पर करवाई थी उक्त जमीन का सामलाती खाता है जिसका अलग-अलग बंटवारा करने के लिए मेरे को कहा था तथा मुझे उक्त जमीन की खाता नकल, नक्शा टैम्स व श्री भरत मेघवाल के हस्ताक्षर करवाकर विभाजन पत्र के फार्म दिये थे जिस पर मेरे द्वारा बंटवारे की कार्यवाही करने के लिए कागताज तैयार किये जा रहे थे तथा अभी अभी कुछ समय पूर्व मैने विभाजन पत्र, 500 रूपये का का खाली स्टाम्प व नक्शा टैम्स इत्यादि पर श्री भरत मेघवाल व अन्य खातेदार श्री किशोरलाल व श्री मांगीलाल के हस्ताक्षर करवाये थे उक्त दस्तावेज मेरे पास बैग में पडे है तथा बताया कि श्री रमेशचन्द्र डांगी ने मुझे रूपये दिये जो मैने बिना गिने ही अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की बाये जेब में रखे है जो जेब मे ही है। चूंकी आरोपी श्री राजेश मीणा द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 10,000 रूपये ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बाई जेब में रखे हैं इस हेतु आरोपी के दोनों हाथों का धोवण एवं पहनी हुई पेन्ट की सामने की बाई जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री मूनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी से प्राईवेट वाहन में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर टेम्प बॉक्स मंे से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को श्री मूनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिल-चिट करवा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मंे आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धोवन का रंग मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को श्री मूनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिल-चिट करवा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात मौके पर आम लोगों की भारी भीड इकट्ठा होने एवं अग्रिम कार्यवाही में व्यवधान पैदा होने की स्थिति के मध्य नजर सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान एवं टेम्प पार्टी के सदस्य मय टेम्प बाक्स, सीलचिट शिशिया, प्रिन्टर, लेपटॉप, परिवादी व उसके मित्र भरत मेघवाल सहित तहसील चौराया वल्लभनगर जरिये प्राईवेट वाहन व परिवादी की निजी कार से रवाना होकर पुलिस थाना वल्लभनगर पहुचे जहां पर उपस्थित ड्यूटी अधिकारी को मन् पुलिस निरीक्षक ने

अपना परिचय देकर कार्यवाही के मन्तव्य से अवगत कराकर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने हेतु कार्यालय कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया जिस पर ड्यूटी अधिकारी द्वारा पुलिस थाना परिसर में बने स्वागत कक्ष में कार्य करने हेतु अवगत करवाया जिस पर थाना परिसर में बने स्वागत कक्ष में समय करीब 4.05 पी.एम. पर पहुचकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके पश्चात आरोपी श्री राजेश मीणा पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 10,000 रूपये ग्रहण कर अपने पहनी हुई पेन्ट के सामने की बाई जेब में रखा होना बताया था, उक्त रिश्वत राशि बरामद किया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह श्री सुनिल कुमार से आरोपी श्री राजेश मीणा की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बाई जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब मे से भारतीय चलन मुद्रा के 200-200 के 5 नोट व 500-500 रूपये के 18 नोट कुल राशि 10,000 रूपये होना बताया उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतन्त्र गवाहान द्वारा पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी दृष्टान्त से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि 10,000 रूपये को एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिलचिट बन्द करा मार्क N अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। इसके पश्चात आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बाई जेब जहां से रिश्वत राशि 10,000 रूपये स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुए थे, इस हेतु उक्त पेन्ट की बाई जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी की पहनी हुई उक्त ग्रे रंग की पेन्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ससम्मान उतरवाकर आरोपी को उपलब्धानुसार लॉवर पहनाया जाकर ब्यूरो कार्यालय के श्री मूनीर मोहम्मद सउनि से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में उक्त ग्रे रंग की पेन्ट की सामने की बाई जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब के धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को श्री मूनीर मोहम्मद सउनि से सिल-चिट करवा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P-1 व P-1 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात् उक्त ग्रे रंग की पेन्ट की सामने की बाई जेब को सुखाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। त्तपश्चात उक्त ग्रे रंग की पेन्ट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द बरामदगी तैयार की गई थी। तत्पश्चात् समय करीब 6.50 पी.एम. पर दिनांक 24.07.2025 को रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी की वार्तालाप आरोपी श्री राजेश मीणा पटवारी के मध्य आमने सामने तहसील चौराहा वल्लभनगर स्थित चाय की दूकान पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के लेपटॉप से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। तत्पश्चात् समय करीब 11.55 पी.एम. पर आरोपी श्री राजेश मीणा पुत्र श्री समयसिंह उम्र 31 निवासी वीरगांव तहसील मण्डावर जिला उदयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर गिरफ्तारी किया जाकर गया। इस प्रकार श्री राजेश मीणा पटवारी पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर द्वारा परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी के क्रय शुदा भूमि जो उसके मित्र श्री भरत मेघवाल के सामलाती खाते का बंटवारा का कार्य करने की एवज में दौराने् मांग सत्यापन 2000 रूपये रिश्वत उसके परिचित व्यक्ति के मार्फत ग्रहण करना तथा शेष दस हजार रूपये मांग करने की पुष्टि होने पर दौराने् ट्रेप कार्यवाही दिनांक 24.07.2025 को श्री राजेश मीणा पटवारी पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर को परिवादी श्री रमेशचन्द्र डांगी से दस हजार रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण करते हुए रंगे हाथो पकडा जाकर गिरफतार किया गया। श्री राजेश मीणा पटवारी पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय 1988 (यथा संशोधित-2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री राजेश मीणा पटवारी पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के विरूद् जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित-2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। भवदीय, (डां. सोनू शेखावत) प्रभारी (पु.नि.) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर।...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनु शेखावात, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे-उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र श्री समयसिंह उम्र 31 वर्ष निवासी वीरगांव तहसील मण्डावर पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा हाल पटवारी पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डुंगरपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 213- पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1093-96 दिनांक 26.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर क्रम -1,2. जिला कलेक्टर उदयपुर 3-उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे-उदयपुर, उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):**
(जाँच अधिकारी का नाम): RAJENDRA SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/07/2025 19:30:57

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्रक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)